न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,

रसद मामला संख्या– 83/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/118

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्योलय, नागौर		खेताराम पुत्र कानाराम जाट निवासी रायधनू तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा व अप्रार्थी स्वंय श्री खेताराम।

निर्णय दिनांक – 01-06-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा 108 लीटर मोटर स्पिरिट को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने कथन किया कि दिनांक 16.08.2021 को जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेशानुसार ग्राम रायधनु मे अवैध रूप से पेट्रोल बेचे जाने की शिकायत की जांच हेतु मै. शिवराज चौधरी व अन्य प्रवर्तन निरीक्षकगण रायधनु चौराहा ग्राम रायधनु तहसील नागौर स्थित खेताराम जाट की किराणा की दुकान परपहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री खेताराम जाट उपस्थित मिले। अप्रार्थी की किराणा की दुकान का निरीक्षण करने पर मौके पर 02 प्लास्टिक जरीकेन व 18 प्लास्टिक बोतले पाई गई जिनमें मोटर स्पिरिट (एम.एस.) पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर उपस्थित किराणा दुकान के मालिक अप्रार्थी से पूछताछ कर उसके लिखित मे बयान दर्ज किये गये, जिनमें अप्रार्थी ने बताया कि वह दूध का धंधा करता है। उसके पास पांच मोटर साईकिल है जिनमें भरने के लिए वह आज ही अपने मोटर साईकिल से 40 लीटर पेट्रोल लेकर आया था। अप्रार्थी से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगने पर उसने उसके पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नही होना बताया। अप्रार्थी के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होने से किराणा की दुकान मे भण्डारित मोटर स्पिरिट (एम.एस.) पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त कर फर्द अभिग्रहण तैयार कर ब्लू रंग के एक जरीकेन मे 50 लीटर, ब्लू रंग के दूसरे जरीकेन मे 40 लीटर व 18 बोतलों मे प्रति बोतल 1 लीटर के हिसाब से 18 लीटर इस प्रकार कुल 108 लीटर मोटर स्पिरिट (एम.एस.) को अभिग्रहित किया गया। उक्त मोटर स्पिरिट का विधिवत नमूना लिया जाकर, नमूना एफएसएल जॉच हेतु तथा जब्तसुदा 108 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को प्रभारी मालखाना सदर थाना नागौर की सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी खेताराम का यह कृत्य MS & HSD आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 केतहत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा जब्तसुदा 108 लीटर मोटर स्पिरिट को राजसात करने का निवेदन किया है।
3. वकील श्री बाबूलाल खोजा एवं अप्रार्थी ने प्रकरण में जवाब व सूची दस्तावेज के साथ अप्रार्थी का आधार का की प्रति प्रस्तुत की अप्रार्थी द्वारा [illegible] कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में रसद विभाग द्वारा 16.08.2021 को [illegible] को जब्त किया है। उक्त जब्तशुदा मोटर स्पिरिट अप्रार्थी का [illegible] उक्त [illegible] लीटर मोटर स्प्रिट को राजसात करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।
4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दिनांक [illegible]08.2021 को जिला रस[illegible]कारी नागौर के आदेशानुसार ग्राम रायधनु मे अवैध रूप से पेट्रोल बेचे जाने की शिकायत की जांच हेतु मै.

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:55 IST
Reason: SelfAttested

नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

शिवराज चौधरी व अन्य प्रवर्तन निरीक्षकगण रायधनु चौराहा ग्राम रायधनु तहसील नागौर स्थित खेताराम जाट की किराणा की दुकान पर पहुंचकर मौके पर उपस्थित अप्रार्थी श्री खेताराम जाट की किराणा की दुकान का निरीक्षण करने पर मौके पर 02 प्लास्टिक जरीकेन व 18 प्लास्टिक बोतले पाई गई जिनमें मोटर स्पिरिट (एम.एस.) पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी से पूछताछ कर उसके लिखित मे बयान दर्ज किये गये, जिनमें अप्रार्थी ने बताया कि वह दूध का धंधा करता है। उसके पास पांच मोटर साईकिल है जिनमें भरने के लिए वह आज ही अपने मोटर साईकिल से 40 लीटर पेट्रोल लेकर आया था। अप्रार्थी से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगने पर उसने उसके पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नही होना बताया। अप्रार्थी के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होने से किराणा की दुकान मे भण्डारित मोटर स्पिरिट (एम.एस.) पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त कर फर्द अभिग्रहण तैयार कर ब्लू रंग के एक जरीकेन मे 50 लीटर, ब्लू रंग के दूसरे जरीकेन मे 40 लीटर व 18 बोतलों मे प्रति बोतल 1 लीटर के हिसाब से 18 लीटर इस प्रकार कुल 108 लीटर मोटर स्पिरिट (एम.एस.) को अभिग्रहित किया गया। उक्त जब्तशुदा मोटर स्पिरिट का विधिवत नमूना लिया जाकर, नमूना एफएसएल जॉच हेतु तथा जब्तसुदा 108 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को प्रभारी मालखाना सदर थाना नागौर की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त संबंध में अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में रसद विभाग द्वारा 16.08.2021 को कुल 108 लीटर मोटर स्पिरिट को जब्त किया जाना स्वीकार करते हुए यह भी कथन किया कि उक्त जब्तशुदा मोटर स्पिरिट अप्रार्थी का नहीं होने से उक्त 108 लीटर मोटर स्प्रिट को राजसात करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः चूंकि प्रकरण में 108 लीटर मोटर स्पिरिट रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा 108 लीटर मोटर स्प्रिट को राजसात करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 108 लीटर मोटर स्पिरिट को समपहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा का नियमानुसार उचित माध्यम से कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है, साथ ही ऐसी प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:55 IST
Reason: SelfAttested

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA